सूचना का अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127/2021)लोसू/निकाशि/2005/1627 दिनांकः– 13-9-2021

लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित),
राजस्थान।

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र दिनांक 16–4–2021 एवं 29–6–2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2020 **(01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक)** का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर सूचना आयोग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

इस संबंध में लेख है कि इस विभाग की आर.टी.आई. समन्वयक अनुभाग के पत्र दिनांक 15–3–2021 के द्वारा निम्नलिखित दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार आपके महाविद्यालय की gmail ID पर Spreadsheet में "RTI Information" दिनांक 19–3–2021 तक भरकर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन कुछ राजकीय महाविद्यालयों द्वारा सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर आपके महाविद्यालय की gmail ID पर Spreadsheet में "RTI Information" दिनांक 20-9-21 तक भरकर भिजवायें, ताकि सूचना शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को भिजवाई जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन एवं 19 (1) के तहत प्राप्त प्रथम अपीलों का निस्तारण

जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	समयावधि पश्चात् में सूचना दी गई आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6

लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	प्राप्त राशि रूपये में आवेदन शुल्क एवं सूचना शुल्क दोनों को मिलाकर	आयुक्तालय से महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या		लम्बित प्रथम अपीलों की संख्या
7	8	9	10	11	12

(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक :– एफ 20(101/127/2021)लोसू/निकाशि/2005/1627-1630 दिनांकः– 13-9-2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(1)शिक्षा–3/2021 दिनांक 16–4–2021 एवं 29–6–2021 के संदर्भ में।
2. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड़, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017 के पत्रांक प. 3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति./2020/1433 दिनांक 5–4–2021 के संदर्भ में।
3. विभागीय वेबसाईट प्रभारी– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करें।

(डा. के.एल. सिराधना)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।